भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1729

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ

1729. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या का विशेषकर आंध्र प्रदेश के कोनासीमा और पालनाडु जिलों में योजना-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों, कौशल विकास प्रशिक्षणों, कोचिंग सहायता, आजीविका समर्थन और अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा और पालनाडु जिलों में संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की सभी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश के कोनासीमा और पालनाडु जिले के लिए कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई; और

(घ) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर कोनासीमा और पालनाडु जिलों में अल्पसंख्यक युवाओं के मध्य कौशल विकास, रोज़गार से जुड़े प्रशिक्षण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में मंत्रालय की मुख्य योजनाओं और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

पीएमजेवीके:

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जो देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

पीएमजेवीके एक मांग आधारित योजना है और धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएमजेवीके के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को कोई भी धनराशि जारी नहीं की गई है।

पीएम विकास:

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' और 'उस्ताद' को एकीकृत किया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमशीलता और नेतृत्व को बढ़ावा देने और स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों को शिक्षा सहायता प्रदान करके छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जनवरी 2025 में योजना के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया, तदनुसार, उसके पश्चात योजना के अंतर्गत लक्ष्यों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई।

पीएम विकास, केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के नाते, विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं, इसलिए मंत्रालय द्वारा लक्ष्य आवंटन का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता है। हालांकि, 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में योजना के गैर-पारंपरिक कौशल एवं महिला नेतृत्व तथा उद्यमशीलता घटक के तहत प्रशिक्षण के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को 3,150 (लगभग) लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार करते हुए कि कुछ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में लक्षित और समग्र व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है, सरकार कोनासीमा और पालनाडु जैसे जिलों में रहने वाले लोगों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार बढ़ाने और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाने के लिए देश भर में पीएम विकास लागू कर रही है।

मंत्रालय वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों के आवंटन के लिए अपने विशेष पोर्टल, अर्थात https://pmvikas.minorityaffairs.gov.in/ के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है।

छात्रवृत्ति:

मंत्रालय ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया है।

i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और

iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

हालांकि, छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 के बाद लागू करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

एनएमडीएफसी:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) देश भर में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महिलाओं और कारीगरों को प्राथमिकता देते हुए स्वरोजगार आय सृजन उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करके अपनी योजनाओं को लागू करता है।

एनएमडीएफसी की योजनाओं को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCA), पंजाब ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

2021-22 से 2024-25 तक, एनएमडीएफसी द्वारा केनरा बैंक को पुन: वित्तपोषण के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य के लाभार्थियों को जो सहायता प्रदान की गई है, वह इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**धनराशि करोड़ रु. में**	**लाभार्थी**
1	2021-22	3.04	479
2	2022-23	5.10	2525
3	2023-24	1.54	187
4	2024-25	1.88	172

*****